



पूर्वोत्तर रेलवे

कार्यालय
महाप्रबन्धक (कार्मिक)
गोरखपुर।

ई0पी0सं0-03-23

कमांक-146/2018

आरबीई सं0-88/2018

सं0 ई/9/14/1/चार

दिनांक 19-09-2018

सचिव/महाप्रबन्धक
सचिव/अपर महाप्रबन्धक
सभी विभागाध्यक्ष
सभी मण्डल रेल प्रबन्धक
सभी कार्मिक अधिकारी
सभी मुख्य कारखाना प्रबन्धक
सभी अतिरिक्त मण्डलाधिकारी/स्थापना
पूर्वोत्तर रेलवे।

विषय:-औसत वेतन अवकाश के अलावा अन्य छुट्टियों के दौरान राशन राशि भत्ता।

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या ई(पी एण्ड ए)।-2005/एएलएल/आरपीएफ-2 दिनांक 14.06.2018 की हिन्दी प्रतिलिपि सूचना, मार्गदर्शन एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्नक/यथोपरि

(आर0 के0 पाण्डेय)
सकाधि/मुख्या0-11
कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महामंत्री/एन.ई.रेलवे मजदूर यूनियन/गोरखपुर - 40 प्रतियों में।
- 2- महामंत्री/प्रमोटी अधिकारी संघ/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 3- महामंत्री/रेसुब एशोसियेशन/पूउरे/गोरखपुर - 02 प्रतियों में।
- 4- पूर्वोत्तर रेलवे प्रथम श्रेणी अधिकारी संघ/गोरखपुर - 01 प्रति में।
- 5- महामंत्री/एससी/एसटी एवं ओबीसी एशोसियेशन/गोर0-02 प्रतियों में।
- 6- मुकार्याधी/एमपीपी को बेबसाइट पर अपलोड हेतु - 01 प्रति में।

कृते महाप्रबन्धक/कार्मिक

M.P.P.

कैसे हो जाएगी काफी होना

PCPO, PCSS, PCSC/RPF

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA
रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD)

10 AUG 2018

10/8/18

आरबीई सं. 88 /2018

सं. ई(पी एण्ड ए)I-2005/एएलएल/आरपीएफ-2

नई दिल्ली, दिनांक 14.06.2018

महाप्रबंधक एवं प्रधान वित्त सलाहकार,
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयां

13.08.18

कृपावित्त

14/08/18

विषय: औसत वेतन अवकाश के अलावा अन्य छुट्टियों के दौरान राशन राशि भत्ता

सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नई ने स्पष्टीकरण मांगा है कि क्या रेल सुरक्षा बल के कर्मचारी औसत वेतन अवकाश (एलएपी) के अलावा अन्य छुट्टी, जैसेकि परिवर्तित छुट्टी, मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश के दौरान राशन राशि भत्ता के भुगतान के लिए पात्र हैं।

2. इस मामले की गृह मंत्रालय के साथ परामर्श करके बोर्ड कार्यालय में जांच की गई है। यह स्पष्ट किया जाता है कि परिवर्तित अवकाश, मातृत्व अवकाश और पितृत्व अवकाश के दौरान रेल सुरक्षा बल के कर्मचारियों को कोई राशन राशि भत्ता स्वीकार्य नहीं है।

3. बोर्ड के दिनांक 10.06.2009 के समसंख्यक पत्र के पैरा 4 में यथा निर्धारित अन्य निबंधन एवं शर्तें अपरिवर्तित रहेंगी।

4. इससे सवारी डिब्बा कारखाना के दिनांक 11.12.2017 के पत्र सं. पीबी/सीबीएस/आरबी का निपटारा हो जाता है।

5. कृपया पावती दें।

14/08/18

(एन पी सिंह)

संयुक्त निदेशक/स्था.(पी एण्ड ए)

रेलवे बोर्ड

सं. ई(पी एण्ड ए)I-2005/एएलएल/आरपीएफ-2

नई दिल्ली, दिनांक 14.06.2018

भारत के उप नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक (रेलें), कमरा नं. 224, रेल भवन, नई दिल्ली को प्रतिलिपि (40 अतिरिक्त प्रतियों सहित) प्रेषित।

जितेंद्र

कृते वित्त आयुक्त/रेलें

Received
20.8.2018

14/8/18

14/8/18